

सोलापुर विभाग का आरटीआई प्राविकरण विवरण:-

निम्नलिखित अधिकारियों को आर टी आई अधिनियम 2005 से निपटने के लिए नामित किया गया है :-

- १) अपीलीय प्राविकारी = श्री अंशुमाली कुमार (अ.मं.रेल प्रबंधक)।
- 2) नोडल अधिकारी और सीपीआईओ = श्री योगेश पाटील (वरी. मंडल वाणिज्य प्रबंधक),
- 3) सीपीआईओ (परिचालन) = श्री. जे.एन.गुप्ता, (वरी.मंडल परिचालन प्रबंधक)।

आरटीआई आवेदन कैसे दाखिल करें:-

आप दो तरह से आरटीआई आवेदन दाखल कर सकते हैं:

- 1) ऑन लाइन मोड़ - ऑन लाइन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से -
(<https://rtionline.gov.in>)
- 2) ऑफ लाइन मोड़ - सीवियर डीसीएम कार्यालय में जमा किए जाने वाले
मैनुअल आवेदन -

(पता- मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, वाणिज्य शाखा, सोलापुर.413001.)

शुल्क

*आरटीआई आवेदन शुल्क रु.10/- है।

* गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए निशुल्क

भुगतान का प्रकार (व्.मं.वित्त प्रबंधक /सोलापुर के पक्ष में)

- 1) डिमांड ड्राफ्ट,
- 2) भारतीय पोस्टल ऑर्डर,
- 3) यूटीएस काउंटर मनी रसीद रु.10/-।